संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

E_Mail:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222789, Fax:- 222791

क्रमांक–225 /परीक्षा/ई–03/2025 अम्बिकापुर, दिनांक, 02/09/2025

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के विनियम क्रमांक 20 एवं 21 के कंडिका 16 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर में प्रवेशित छात्रों हेतु पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त करते हुये चैलेंज्ड मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है –

Step -1 :

- ऐसे छात्र जिनका सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है तथा जिन्होनें पुणर्गणना हेतु आवेदन किया है पुणर्गणना परिणाम जारी होने के पश्चात् परिणाम से असंतुष्ट छात्र को यदि यह प्रतीत होता है कि उसके अंक में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है तब छात्र सेमेस्टर परीक्षा के पुणर्गणना परिणाम जारी होने के 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 2000/– (रूपये दो हजार) प्रति विषय की उत्तरपुस्तिका की दर से विश्वविद्यालय कोष में जमा कर चैलेंज्ड वेल्यूशन हेतु आवेदन ऑनलाईन/ऑफ लाईन माध्यम से कर सकते हैं।

Step -2

- उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक–01 में उल्लेखित विषयों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विषय विशेषज्ञों की समिति गठित कर उत्तरपुस्तिकाओं का चैलेंज्ड वेल्यूशन किया जावेगा।
- दो विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदाय किये गये औसत अंक, कुल प्राप्तांक के 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में दोनों विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रदत्त औसत अंक को अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा।
- यदि दो विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रदत्त औसत अंक, छात्र को प्राप्त अंक 10 प्रतिशत अथवा कम हो तय छात्रों के अंक में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त औसत अंक के अनुसार कमी की जावेगी।
- विश्वविद्यालय उपरोक्तानुसार वांछित विषयों की उत्तरपुस्तिका संबंधित छात्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करायेगी।
- आवेदन एक से अधिक विषयों में किया जा सकता है।

कुलसचिव

पृ० क्रमांक– 226 /परीक्षा/ई–03/2025 अम्बिकापुर, दिनांक, 02/09/2025

प्रतिलिपि –

1. मान्नीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर।
6. वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव वित्त/गोपनीय संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर।
7. व्यवस्थापक, एम.आई.सी.एस.।
8. कार्यालयीन नस्ती।

उप कुलसचिव (परीक्षा)